

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वीरेन्द्र सोनकर पुत्र रामदेव निरो दत्त नगर विशेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-438/21, 02. नन्हकऊ पुत्र दुलारे शंकर निरो थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-439/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परस्पुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनिल सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निरो रामवली पुरवा थाना परस्पुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-130/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 12.06.2021

01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर के उ0नि0 अनन्त कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इंसान उल्लाह उर्फ ढाढू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. इंसान उल्ला उर्फ ढाढू पुत्र स्व0 मो0 शरीफ नि0 लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—162/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो0 100 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 अनन्त कुमार सिंह मय टीम।